न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर ।
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या :– 68 / 2022 (2022 / 119)

<u>अपीलान्ट</u> :–

1. चिमाराम उर्फ चिमनाराम पुत्र श्री जालूराम
2. चुतराराम पुत्र श्री जालूराम
3. उदाराम पुत्र चुनाराम
4. हनुमानराम पुत्र प्रेमाराम
5. राणीदेवी पत्नी कानाराम
6. गवरी पत्नी प्रेमाराम
7. केसी पत्नी बेनाराम
8. भेराराम पुत्र बेनाराम
9. अन्नाराम पुत्र बेनाराम
10. बुधाराम पुत्र बेनाराम
11. भगाराम पुत्र बेनाराम
12. तेंजाराम पुत्र बेनाराम
13. पुरखाराम पुत्र कानाराम
14. लूम्बाराम पुत्र कानाराम
15. नारायणराम पुत्र कानाराम
16. उदाराम पुत्र कानाराम

सभी जातियान जाट निवासी–ग्राम साई तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

बनाम

<u>रेस्पोडेन्ट</u> :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 298 ग्राम साई (वर्तमान ग्राम साई व हनीफ सागर) जो तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 3–10–1972 को स्वीकृत किया गया।

<u>उपस्थिति</u> :–

अभिभाषक श्री रोशनलाल (अपीलार्थीपक्ष)।

–: <u>आदेश</u> :– दिनांक :–25.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा दि[illegible].11.2022 को प्रार्थना–पत्र वास्ते आवश्यक सुनवाई का पेश करने पर पत्रावली [illegible] पर ली गई। अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम नामान्तरकरण सं0 298 ग्राम

साई (वर्तमान ग्राम साई व हनीफ सागर) जो तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 3—10—1972 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम साई वर्तमान ग्राम साई व हनीफ सागर तहसील शेरगढ के खसरा नं0 945 रकबा 242 बीघा, खसरा नं0 1645 रकबा 96 बीघा 8 बिस्वा, खसरा सं0 936 रकबा 46 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 943 रकबा 4 बिस्वा खसरा सं0 944 रकबा 5 बिस्वा, कुल रकबा 386 बीघा 9 बिस्वा आई हुई थी जो अपीलार्थीगण के पूर्वज जालू पुत्र केसराराम के नाम दर्ज थी। जालू का देहान्त होने पर उनके वारिसानों के नाम तथा बंटवाडे के आधार पर नामान्तरकरण सं0 998 स्वीकृत किया गया तथा अपीलार्थीगण को विभिन्न टुकडों में बंटवाडा करते हुए भूमि बंट मे रखी गई जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1645 से 1645 / 5, खसरा सं0 936 से खसरा नं0 936 / 5 व खसरा नं0 945 से 945 / 10 व खसरा सं0 943 व 944 है। मौके पर कब्जा व राजस्व रिकोर्ड में तरमीम भिन्न होने पर अपीलार्थीगण द्वारा बंटवाडा आदेश व सेड्यूल की नकल हेतु दिनांक 1.8.2022 को तहसीलदार शेरगढ के समक्ष आवेदन किया जिस पर तहसीलदार शेरगढ ने बतलाया कि उक्त बंटवाडा रेकर्ड में नही है। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ़ से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। तहसीलदार शेरगढ से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की कतई जानकारी नहीं थी, क्योंकि नामान्तरकरण को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया। अभी हाल ही में जब सेग्रीगेशन की कार्यवाही लम्बित चल रही थी उसी दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि मौके व राजस्व रेकर्ड में भिन्नता है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा म्युटेशन व बंटवाडा आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल [illegible] आधार पर की बंटवाडा उपलब्ध नही है, के नोट [illegible] पर अपीलार्थीगण जोधपुर आये तथा नामा[illegible] के विरूद्ध यह अपील जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 22.8.2022 से अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही है जो अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की गई। बंटवाड़ा शेड्यूल व बंटवाड़ा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिससे साबित होता है कि केवल नामान्तरकरण ही दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन नामान्तरकण के साथ बंटवाडा भी स्वीकृत किया जो जो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण स्व0 जालूराम के वारिसानों के नाम तो सही स्वीकृत किया गया लेकिन बंटवाड़ा गलत रूप से किया गया। कार्यालय में किसी तरह का बंटवाड़ा आदेश व शेड्यूल उपलब्ध नहीं है जिससे साबित होता है कि बिना बंटवाड़ा ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। मौके पर कब्जे की स्थिति व नामान्तरकरण में दर्ज खसरे जो सहखातेदारों के बंटवाड़े में आए की स्थिति अलग–अलग है। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः बिना बंटवाड़ा आदेश के जो नामान्तरकण स्वीकृत किया गया निरस्त योग्य होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन यह है कि मौके पर कब्जे की स्थिति व नामान्तरकरण में दर्ज खसरे जो सहखातेदारों के बंटवाड़े में आए की स्थिति अलग–अलग है। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। जिस बंटवाडे के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो तहसीलदार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिन सहखातेदारों के मध्य बंटवाड़ा हुआ वे सभी बंटवाड़ा को निरस्त करवाने के लिए सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य है, जो स्वीकार की जाती हैं [illegible] 298 ग्राम साई (वर्तमान ग्राम साई व हनीफ सागर) जो [illegible] द्वारा दिनांक 3–10–1972 को स्वीकृत किया गया को [illegible] तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 जालूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण तथा उनके कब्जा व हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested